उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या-6/2026(II)/342/43-1-2026-7(4)/2015
लखनऊ: दिनांक 04 मई, 2026

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-46 के लेखा शीर्षक-"2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-03-इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के मद में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू० 8,14,100/- (रूपया आठ लाख चौदह हजार एक सौ मात्र) को आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ०प्र० शासन के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप संख्या-409/2026/43-1-2026-7(4)/2015, दिनांक 29 अप्रैल, 2026 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

(विनोद कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-6/2026(III)/342/43-1-2026-7(4)/2015 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अवैतनिक सचिव, आई०आई०पी०ए०, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश रीजनल शाखा, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
6- अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार लेखा अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in